



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

आरबीआइ /2013-14/78

बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 2/01.02.00/2013-14

1 जुलाई 2013

10 आषाढ़ 1935 (शक)

अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान
करनेवाली संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी तथा सिडबी)

महोदय

मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रकटीकरण मानदंड

कृपया उपर्युक्त विषय पर [2 जुलाई 2012 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. एफआइडी.एफआइसी. 2/01.02.00/ 2012-13](#) देखें। संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2013 तक उक्त विषय पर जारी किये गये सभी अनुदेशों/ दिशानिर्देशों को समेकित और अद्यतन किया गया है। यह मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (<http://www.rbi.org.in>) पर भी उपलब्ध कराया गया है।

2. यह नोट किया जाए कि अनुबंध 5 में सूचीबद्ध परिपत्रों में निहित अनुदेशों को इस मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया है।

भवदीय

(राजेश वर्मा)

मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, 13वीं मंज़िल केंद्रीय कार्यालय भवन शहीद भगत सिंह मार्ग मुंबई 400001

Department of Banking Operations and Development, Central Office, 13th floor, Central Office Bldg., Shahid

Bhagat Singh Marg, Mumbai - 400 001

टेलिफोन /Tel No:022-22661602 फैक्स/Fax No:022-22705691 Email ID: cgmicdbodco@rbi.org.in

हिन्दी आसान है इसका प्रयोग बढ़ाइए

प्रयोजन

वित्तीय विवरणों की "लेखे पर टिप्पणियां" में प्रकटीकरणों के मामले में अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाओं को विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करना।

पूर्व अनुदेश

इस मास्टर परिपत्र में अनुबंध 5 में सूचीबद्ध परिपत्रों में निहित उपर्युक्त विषय पर अनुदेशों को समेकित और अद्यतन किया गया है।

प्रयोज्यता

सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं अर्थात् एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी तथा सिडबी ।

संरचना

1. प्रस्तावना
2. प्रकटीकरण अपेक्षाओं पर दिशानिर्देश
 - 2.1 पूंजी
 - 2.2 आस्ति गुणवत्ता और ऋण का सकेन्द्रण
 - 2.3 चलनिधि
 - 2.4 परिचालन परिणाम
 - 2.5 प्रावधानों में घट-बढ़
 - 2.6 पुनर्चित खाते
 - 2.7 प्रतिभूतीकरण कंपनी /पुनर्चना कंपनी को बेची गयी आस्तियां
 - 2.8 वायदा दर करार और ब्याज दर स्वैप
 - 2.9 ब्याज दर डेरिवेटिव
 - 2.10 गैर-सरकारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश
 - 2.11 समेकित वित्तीय विवरण
 - 2.11.1 समेकन का विस्तार
 - 2.11.2 लेखा नीतियां

- 2.12 डेरिवेटिव में जोखिम
- 2.13 ऐसे एक्सपोजर जहां वित्तीय संस्था ने वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं का उल्लंघन किया है
- 2.14 कंपनी ऋण पुनर्चना (सीडीआर)
- 2.15 लेखे पर टिप्पणियों के अंतर्गत अतिरिक्त प्रकटीकरण
- 2.16 परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) संवर्ग के अंतर्गत रखे गए निवेश की बिक्री

टिप्पणी

- I. सीआरएआर तथा अन्य मानदंड
- II. आस्ति गुणवत्ता और ऋण संकेंद्रण
- III ऋण एक्सपोजर
- IV पूंजीगत निधियां
- V 'उधारकर्ता समूह' की परिभाषा
- VI आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता ढांचा
- VII परिचालनगत परिणाम
- VIII प्रति कर्मचारी निवल लाभ की गणना

अनुबंध - 1 ऋण प्रतिभूतियों में निवेश हेतु जारीकर्ता संघटकों के प्रकटन के लिए फार्मेट

अनुबंध - 2 डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर के संबंध में प्रकटीकरण
गुणात्मक प्रकटीकरण
मात्रात्मक प्रकटीकरण

अनुबंध - 3 अतिरिक्त प्रकटीकरण

अनुबंध- 4 बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिमों की पुनर्चना के संबंध में विवेकपूर्ण दिशानिर्देश

अनुबंध - 5 इस मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

1. प्रस्तावना

वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रकाशित अपने वित्तीय विवरणों में किये गये प्रकटन के स्वरूप और पद्धति में विद्यमान व्यापक विभिन्नता को देखते हुए उनके द्वारा अपनायी गयी प्रकटन पद्धतियों में एकरूपता लाने तथा उनके कार्यों की पारदर्शिता में सुधार लाने के उद्देश्य से मार्च 2001 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रकटन मानदंड लागू किये थे। ऐसे प्रकटन जो वित्तीय वर्ष 2000-2001 से प्रभावी हुए थे और बाद में जिनमें वृद्धि की गई थी, "लेखे पर टिप्पणियां" के एक भाग के रूप में किए जाने अपेक्षित हैं, चाहे वही जानकारी प्रकाशित वित्तीय विवरणों में अन्यत्र भी मौजूद क्यों न हो, ताकि लेखा परीक्षक उन्हें प्रमाणित कर सकें। ये प्रकटन केवल न्यूनतम हैं और यदि कोई वित्तीय संस्था कोई अतिरिक्त प्रकटन करना चाहती हो तो उसे ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

2. प्रकटीकरण अपेक्षाओं पर दिशानिर्देश

विविध प्रकटन अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं :

2.1 पूंजी

(क) जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) स्थायी जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात और अनुपूरक जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात

(ख) स्तर II की पूंजी के रूप में जुटायी गयी तथा बकाया अधीनस्थ ऋण की राशि

(ग) जोखिम भारित आस्तियां-तुलन पत्र में शामिल होनेवाली और शामिल न होनेवाली मदों के लिए अलग-अलग

(घ) तुलन पत्र की तारीख को शेयर धारिता का स्वरूप

2.2 आस्ति गुणवत्ता और ऋण का सकेंद्रण

(ङ) निवल उधारों तथा अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत

(च) निर्दिष्ट आस्ति वर्गीकरण श्रेणियों के तहत निवल अनर्जक आस्तियों की राशि और प्रतिशत

(छ) मानक आस्तियों, अनर्जक आस्तियों, निवेशों (अग्रिम के रूप में होनेवाले निवेशों को छोड़कर) आयकर हेतु वर्ष के लिए किये गये प्रावधानों की राशि

- (ज) निवल अनर्जक आस्तियों में घट-बढ़
(झ) निम्नलिखित के संबंध में पूंजीगत निधियों तथा कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण एक्सपोजर

- सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता ;
- सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह;
- सबसे बड़े 10 एकल उधारकर्ता;
- सबसे बड़े 10 उधारकर्ता समूह;

(उधारकर्ताओं/उधारकर्ता समूहों के नाम प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है)

- (ज) कुल उधार आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सबसे बड़े पांच औद्योगिक क्षेत्रों (यदि लागू हो तो) को ऋण एक्सपोजर

2.3 चलनिधि

- (ट) रुपया आस्तियों तथा देयताओं के संबंध में परिपक्वता अवधि का स्वरूप; तथा
(ठ) निम्नलिखित फार्मेट में विदेशी मुद्रा आस्तियों तथा देयताओं की परिपक्वता अवधि का स्वरूप

मदें	1 वर्ष या उससे कम	एक वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक	7 वर्ष से अधिक	कुल
रुपया आस्तियाँ						
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ						
कुल आस्तियाँ						
रुपया देयताएं						
विदेशी मुद्रा देयताएं						
कुल देयताएं						
जोड़						

2.4 परिचालन परिणाम

- (ड) औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय
(ढ) औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज से इतर आय
(ण) औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ
(त) औसत आस्तियों पर प्रति लाभ
(थ) प्रति कर्मचारी निवल लाभ

2.5 प्रावधानों में घट-बढ़

अनर्जक आस्तियों के लिए धारित प्रावधानों में घट-बढ़ और निवेश संविभाग में मूल्यहास को निम्नलिखित फार्मेट में प्रकट किया जाना चाहिए :

- I. अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान (अग्रिम तथा अंतर-कंपनी जमा के रूप में ऋणों, बांडों तथा डिबेंचरों को शामिल करते हुए)
(मानक आस्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर)

क) वित्तीय वर्ष की शुरुआत में आरंभिक शेष

जोड़ें : वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान

घटाएं : अतिरिक्त प्रावधान का पुनरांकन, बट्टे खाते डालना

ख) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष

- II. निवेशों में मूल्यहास हेतु प्रावधान

ग) वित्तीय वर्ष की शुरुआत में आरंभिक शेष

जोड़ें :

- i. वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान
- ii. वर्ष के दौरान निवेश घट-बढ़ प्रारक्षित निधि खाते से विनियोग, यदि कोई हो

घटाएं :

- i. वर्ष के दौरान बट्टे खाते
- ii. निवेश घट-बढ़ आरक्षित निधि खाते में अंतरण, यदि कोई हो

घ) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष

2.6 पुनर्चित खाते

2.6.1 ऋण आस्तियों और पुनर्चना आदि के अधीन अवमानक आस्तियों /संदिग्ध आस्तियों की कुल राशि अलग-अलग प्रकट की जाये।

2.6.2 बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों की समीक्षा

1. जैसा कि 03 मई 2013 को घोषित मौद्रिक नीति वक्तव्य 2013-14 के पैरा 81 (उद्धरण संलग्न) में सूचित किया गया है, 'बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश' को इस संबंध में गठित कार्यदल (अध्यक्ष: श्री बी. महापात्र) की संस्तुतियों और दिनांक 31 जनवरी 2013 को बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 21.04.132/2012-13 द्वारा जारी प्रारूप दिशानिर्देशों पर प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया गया है।

2. संशोधित अनुदेश अनुबंध 4 में दिए गए हैं जिनमें उक्त विषय के संबंध में केवल परिवर्तित सिद्धांतों/अनुदेशों का वर्णन किया गया है। अतएव इन दिशानिर्देशों को उक्त विषय पर दिए गए उन अनुदेशों के साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए जो 'अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड' पर 02 जुलाई 2012 के मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 9/ 21.04.048/2012-13 में दिए गए हैं। उक्त मास्टर परिपत्र दिनांक 27 अगस्त 2008 को जारी 'अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश', परवर्ती परिपत्रों तथा मेल-बॉक्स स्पष्टीकरणों का नवीनतम संकलन है।

2.7 प्रतिभूतीकरण कंपनी/पुनर्रचना कंपनी को बेची गयी आस्तियां

जो वित्तीय संस्थाएं अपनी वित्तीय आस्तियां प्रतिभूतीकरण कंपनी/पुनर्रचना कंपनी को बेचती हैं उन्हें निम्नलिखित प्रकटीकरण करने होंगे :

- क) खातों की संख्या
- ख) प्रतिभूतीकरण कंपनी/पुनर्रचना कंपनी को बेचे गये खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों को घटाकर)
- ग) कुल प्रतिफल
- घ) पहले के वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल
- ड) निवल बही मूल्य पर कुल लाभ/हानि

2.8. वायदा दर करार और ब्याज दर स्वैप

तुलन पत्र पर टिप्पणियों में निम्नलिखित प्रकटीकरण किये जाने चाहिए :

- स्वैप करार का अनुमानिक मूल धन;
- स्वैप का स्वरूप और शर्तें जिसमें ऋण और बाज़ार जोखिम तथा स्वैप रिकार्ड करने हेतु अपनायी गयी लेखा नीतियों के संबंध में जानकारी शामिल हो ;

- करार के तहत प्रतिपक्ष द्वारा अपना दायित्व निभाने पर हुई हानि की मात्रा ;
- स्वैप करने पर संस्था द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक जमानत;
- स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का कोई संकेंद्रण। विशिष्ट उद्योगों से संबंधित एक्सपोजर या अत्यधिक अनुकूल कंपनी के साथ स्वैप संकेंद्रण के उदाहरण हो सकते हैं; और
- कुल स्वैप बही का "उचित" मूल्य। यदि स्वैप विशिष्ट आस्तियों, देयताओं या वायदों से संबद्ध किये गये हों तो उचित मूल्य वह अनुमानित राशि होगी जो तुलन-पत्र की तारीख को संस्था प्राप्त करेगी या स्वैप करार समाप्त करने हेतु अदा करेगी। किसी व्यापारिक स्वैप के लिए उचित मूल्य आस्तियों का दैनिक बाज़ार मूल्य होगा।

2.9 ब्याज दर डेरिवेटिव

एक्सचेंजों में ब्याज दर डेरिवेटिव का कारोबार करनेवाली वित्तीय संस्था तुलन-पत्र में 'लेखे पर टिप्पणियां' के एक भाग के रूप में निम्नलिखित ब्योरा प्रकट करें :

क्रम सं.	विवरण	राशि
1	वर्ष के दौरान एक्सचेंजों में लेनदेन किये गये ब्याज दर डेरिवेटिव व्यापार की कल्पित मूल धन राशि (लिखत वार) क) ख) ग)	
2	एक्सचेंजों में किये गये लेनदेन ब्याज दर डेरिवेटिव की 31 मार्च को बकाया कल्पित मूल धन राशि (लिखत वार) क) ख) ग)	
3	एक्सचेंजों में किये गये लेनदेन ब्याज दर डेरिवेटिव की बकाया कल्पित मूल धन राशि और जो "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है (लिखत वार) क) ख) ग)	
4.	एक्सचेंजों में किये गये लेनदेन ब्याज दर डेरिवेटिव की बकाया राशि का बाज़ार मूल्य और जो "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है (लिखत वार) क) ख) ग)	

2.10 गैर-सरकारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश

वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे निजी तौर पर शेयर आबंटन के जरिए किये गये निवेशों के जारीकर्ता संघटकों के ब्योरे और अनर्जक निवेशों को तुलन पत्र के 'लेखे पर टिप्पणियां' में अनुबंध 1 में दिये गये फार्मेट में प्रकट करें ।

2.11 समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस)

2.11.1 समेकन का विस्तार :

समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुतकर्ता मूल संस्था को देशी और विदेशी, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आइसीएआइ) के लेखांकन मानदंड -21 (एएस-21) के तहत जिन्हें विशिष्ट रूप में शामिल न करने की अनुमति दी गयी है ऐसी संस्थाओं को छोड़कर, सभी सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरण समेकित करने चाहिए। किसी सहायक कंपनी का समेकन न करने के कारणों को समेकित वित्तीय विवरण में प्रकट करना चाहिए। किसी खास संस्था को समेकन हेतु शामिल किया जाना चाहिए या नहीं यह निर्धारित करने की जिम्मेदारी मूल संस्था के प्रबंधन की होगी। यदि उसके सांविधिक लेखा परीक्षकों की यह राय है कि ऐसी कोई संस्था जिसे समेकित किया जाना चाहिए था, उसे छोड़ दिया गया है, तो इस बारे में उन्हें "लेखे पर टिप्पणियां" में अपना अभिमत शामिल करना चाहिए।

2.11.2 लेखा नीतियां :

एक समान लेनदेनों और एक जैसी परिस्थितियों में अन्य घटनाओं के लिए एक समान लेखा नीतियों का उपयोग करके समेकित वित्तीय विवरण बनाया जाना चाहिए। (इस प्रयोजन हेतु वित्तीय संस्थाएं सहायक संस्थाओं के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा दिये गये गैर-एक समान लेखा नीतियों के लिए समायोजन विवरणों पर निर्भर रहें।) यदि यह व्यवहार्य न हो, तो समेकित वित्तीय विवरण में ऐसे मदों के उस अनुपात के साथ तथ्यों को प्रकट किया जाना चाहिए जिस अनुपात में भिन्न-भिन्न लेखा नीतियां लागू की गयी हैं।

2.12 डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजरों के संबंध में प्रकटन

सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के लिए वित्तीय संस्थाओं के जोखिम के प्रति एक्सपोजर के संदर्भ में अर्थपूर्ण और उचित प्रकटन तथा जोखिम प्रबंधन के लिए उनकी उचित कार्य नीति आवश्यक है। डेरिवेटिव में अपने जोखिम एक्सपोजर के संबंध में वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रकटन हेतु न्यूनतम ढांचा अनुबंध 2 में दिया गया है। प्रकटन फार्मेट में गुणात्मक तथा मात्रात्मक पक्ष शामिल हैं और इसे डेरिवेटिव में जोखिमों की तुलना में ऋण आदि निवेश जोखिम प्रबंधन प्रणालियों, उद्देश्यों और नीतियों के संबंध में स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करने के

लिए तैयार किया गया है। तुलन पत्र के 'लेखे पर टिप्पणियां' के एक भाग के रूप में वित्तीय संस्थाओं को ये प्रकटन 31 मार्च 2005 से शुरू करना चाहिए (राष्ट्रीय आवास बैंक के मामले में 30 जून 2005 से)।

2.13 ऐसे एक्सपोजर जहां वित्तीय संस्था ने वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं का उल्लंघन किया है

वित्तीय संस्था को उन एक्सपोजरों के मामले में जहां वित्तीय संस्था ने वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं का उल्लंघन किया है अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों के "लेखे पर टिप्पणियां" में उचित प्रकटीकरण करने चाहिए।

2.14 कंपनी ऋण पुनर्चना (सी डी आर)

वित्तीय संस्थाओं को सीडीआर के संबंध में वर्ष के दौरान अपने प्रकाशित वार्षिक लेखे में लेखे पर टिप्पणियां' के अंतर्गत निम्नलिखित का प्रकटीकरण करना चाहिए :

- सीडीआर के अंतर्गत पुनर्चना के अधीन ऋण आस्तियों की कुल राशि ।
- सीडीआर के अधीन मानक आस्तियों की राशि।
- सीडीआर के अधीन अवमानक आस्तियों की राशि।

2.15 वित्तीय संस्थाओं द्वारा लेखे पर टिप्पणियों के अंतर्गत अतिरिक्त प्रकटीकरण

रिज़र्व बैंक बैंकों के परिचालनों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप व्यापक प्रकटीकरण निर्धारित करते हुए समय-समय पर अनेक उपाय करता आ रहा है।

मौजूदा प्रकटीकरणों की समीक्षा के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि मार्च 2010 में समाप्त वर्ष से बैंकों के तुलनपत्रों के "लेखे पर टिप्पणियों" के अंतर्गत निम्नलिखित अतिरिक्त प्रकटीकरण निर्धारित किए जाएं :

- I. जमाराशि, अग्रिमों, एक्सपोजर तथा अनर्जक आस्तियों (एन पी ए) का संकेंद्रण
- II. क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियाँ
- III. अनर्जक आस्तियों में घटबढ़ (कृपया सकल एन पी ए की गणना के लिए [26 मार्च 2010 का परिपत्र बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 9/01.02.00/2009-10](#) देखें)
- IV. विदेश स्थित आस्तियां, अनर्जक आस्तियाँ तथा आय
- V. बैंकों द्वारा प्रायोजित तुलनपत्रेतर एस पी वी

निर्धारित फार्मेट अनुबंध 3 में दिए गए हैं।

टिप्पणियां :

(I) सीआरएआर तथा अन्य मानदंड

वित्तीय संस्थाओं के लिए वर्तमान पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के अनुसार निर्धारित जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) और अन्य संबंधित मानदंडों को प्रकट किया जाये ।

(II) आस्ति गुणवत्ता और ऋण संकेंद्रण

आस्ति गुणवत्ता और ऋण के संकेंद्रण के प्रयोजन हेतु, ऋण, अग्रिम तथा अनर्जक आस्तियों की राशि निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित को ध्यान में लिया जाना चाहिए और प्रकटनों में शामिल किया जाना चाहिए :

(i) **बांड और डिबेंचर:** बांडों तथा डिबेंचरों को अग्रिम के रूप में माना जाना चाहिए जब :

- परियोजना वित्त के लिए प्रस्ताव के भाग के रूप में डिबेंचर/बांड का निर्गम किया गया हो और उस डिबेंचर/बांड की अवधि तीन वर्ष और उससे अधिक हो।

और

- वित्तीय संस्था का निर्गम में उल्लेखनीय (अर्थात् 10% या उससे अधिक) हित निहित हो।

और

- निर्गम निजी तौर पर शेयर आबंटन का भाग हो अर्थात् उधारकर्ता ने वित्तीय संस्था से संपर्क किया हो और ऐसे सार्वजनिक निर्गम का भाग न हो जहां वित्तीय संस्था ने किसी आमंत्रण पर अभिदान किया हो।

(ii) **अधिमान शेयर :** परिवर्तनीय अधिमान शेयरों को छोड़कर अधिमान शेयरों को परियोजना वित्त के भाग के रूप में प्राप्त किया हो और उपर्युक्त (i) में निहित मानदंड को पूरा करता हो।

(iii) **जमाराशि :** कंपनी क्षेत्र में रखी गयी जमाराशि ।

(III) ऋण जोखिम (एक्सपोज़र)

"ऋण एक्सपोज़र" में निधिक और गैर-निधिक ऋण सीमाएं, हामीदारी और इसी प्रकार की अन्य प्रतिबद्धताएं शामिल होंगी। ऋण आदि जोखिम की सीमा निश्चित करने के लिए स्वीकृत सीमाओं या बकाया में से जो भी अधिक हो उसे विचार में

लिया जाएगा। तथापि, मीयादी ऋणों के मामले में, ऋण आदि जोखिम सीमा की गणना वास्तविक बकाया के आधार पर की जाए जिसमें असंवितरित या अनाहरित प्रतिबद्धताओं को जोड़ा जाये।

तथापि, जिन मामलों में संवितरण शुरू करना अभी बाकी है, एक्सपोजर सीमा, स्वीकृत सीमा या करार के अनुसार उधारकर्ता कंपनी के साथ वित्तीय संस्था ने जो वायदा किया है उस सीमा तक के आधार पर ऋण आदि जोखिम सीमा की गणना की जानी चाहिए।

गैर-निधिक ऋण आदि जोखिम सीमा में विदेशी विनिमय और वर्तमान ऋण मानदंडों के अनुसार अन्य डेरिवेटिव्स उत्पाद, जैसे मुद्रा स्वैप, ऑपशंस आदि में वायदा ठेकों को शामिल किया जाना चाहिए।

(IV) पूंजीगत निधियां

ऋण संकेंद्रण के प्रयोजन हेतु पूंजीगत निधियां पूंजी पर्याप्तता मानदंडों (अर्थात् पूंजी स्तर I और स्तर II) के तहत निर्धारित कुल विनियामक पूंजी होगी।

(V) 'उधारकर्ता समूह' की परिभाषा

'उधारकर्ता समूह' की परिभाषा वही होगी जो वित्तीय संस्थाओं द्वारा समूह निवेश मानदंडों के अनुपालन में लागू की जाती है।

(VI) आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता ढांचा

आस्तियों और देयताओं के परिपक्वता ढांचे के लिए वित्तीय संस्थाओं को आस्ति देयता प्रबंधन प्रणाली पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार विविध आस्तियों और देयताओं की मदों का समूहन (बकेटिंग) विनिर्दिष्ट समय बकेट में किया जाना चाहिए।

(VII) परिचालन परिणाम

परिचालन परिणामों के लिए कार्यशील निधियों और कुल आस्तियों को पिछले लेखा वर्ष की समाप्ति पर, अनुवर्ती छमाही की समाप्ति पर तथा रिपोर्ट के अधीन लेखा वर्ष के अंत में विद्यमान अंकों के औसत के रूप में लिया जाये। ("कार्यशील निधियों" का अर्थ है वित्तीय संस्था की कुल आस्तियां)

(VIII) **प्रति कर्मचारी निवल लाभ की गणना**

प्रति कर्मचारी निवल लाभ को निकालने के लिए सभी संवर्गों के सभी स्थायी, पूर्णकालिक कर्मचारियों को विचार में लिया जाना चाहिए।

2.16 परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) संवर्ग में रखे गए निवेश की बिक्री

यदि वर्ष के आरंभ में एचटीएम संवर्ग में धारित निवेश के बही मूल्य से 5 प्रतिशत से अधिक मूल्य की प्रतिभूतियाँ एचटीएम संवर्ग में /से अंतरित/बिक्री की जाती हैं तो वित्तीय संस्था को एचटीएम संवर्ग में धारित निवेशों का बाजार मूल्य प्रकट करना चाहिए तथा बाजार मूल्य की तुलना में बही मूल्य के आधिक्य को निर्दिष्ट करना चाहिए जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है। यह प्रकटीकरण वित्तीय संस्था के लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों में 'लेखे पर टिप्पणियाँ' में किया जाना चाहिए।

ऋण प्रतिभूतियों में निवेश हेतु जारीकर्ता संघटकों के प्रकटन के लिए फार्मेट

क. किये गये निवेश के संबंध में जारीकर्ता की श्रेणियां

(तुलन-पत्र की तारीख को)
(करोड़ रुपये)

क्रम सं.	जारीकर्ता	राशि	राशि			
			निजी तौर पर शेयर आबंटन के जरिए किया गया निवेश	'निवेश श्रेणी के नीचे वाली' धारित प्रतिभूतियां	श्रेणी निर्धारण न की गयी' धारित प्रतिभूतियां	'सूची में शामिल न की गई ' प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम					
2	वित्तीय संस्थाएं					
3	बैंक					
4	निजी कंपनियां					
5	सहायक संस्थाएं/ संयुक्त उद्यम					
6	अन्य					
7	# मूल्यहरस के लिए प्रावधान		XXX	XXX	XXX	XXX
	कुल *					

कॉलम 3 में केवल धारित प्रावधान की कुल राशि प्रकट की जाए ।

* टिप्पणियां :

1. कॉलम 3 के जोड़ को तुलन पत्र की निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत शामिल निवेशों के जोड़ के साथ मेल खाना चाहिए :

- क. शेयर
- ख. डिबेंचर और बांड
- ग. सहयोगी संस्थाएं/संयुक्त उद्यम
- घ. अन्य

2. उपर्युक्त कॉलम 4, 5, 6 और 7 में रिपोर्ट की गयी राशियां आवश्यक रूप से परस्पर अनन्य (एक्सक्लूसिव) नहीं होंगी ।

ख. अनर्जक निवेश

(करोड़ रुपये)

विवरण	राशि
आरंभिक शेष	
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन	
उपर्युक्त अवधि के दौरान कटौतियां	
अंतिम शेष	
कुल धारित प्रावधान	

डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर के संबंध में प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटन

वित्तीय संस्थाएं व्युत्पन्न साधनों के संबंध में अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों पर चर्चा करेंगी जो व्युत्पन्न साधनों के उपयोग की मात्रा संबद्ध जोखिम और कारोबार के साध्य प्रयोजनों के विशिष्ट संदर्भ को लेकर होंगी। चर्चा में निम्नलिखित भी शामिल किये जाएंगे :

- व्युत्पन्न साधनों के व्यापार में जोखिम प्रबंधन हेतु ढांचा और संगठन।
- जोखिम के मापन, जोखिम रिपोर्टिंग और जोखिम निगरानी प्रणालियों का विस्तार और स्वरूप।
- प्रतिरक्षा और/या जोखिम कम करने हेतु नीतियां और प्रतिरक्षा/जोखिम कम करनेवाले घटकों के निरंतर प्रभाव की निगरानी हेतु कार्यनीतियां एवं प्रक्रियाएं, और
- प्रतिरक्षा तथा गैर-प्रतिरक्षा के लेनदेन; आय, प्रीमियम और बट्टों का निर्धारण; बकाया ठेकों का मूल्यन; प्रावधानीकरण, संपार्श्विक तथा ऋण जोखिम कम करने के रिकाडिंग हेतु लेखा नीति।

मात्रात्मक प्रकटन

(करोड़ रुपये)

क्रम सं.	विवरण	मुद्रा साधन	व्युत्पन्न साधन	ब्याज दर व्युत्पन्न साधन
1.	डेरिवेटिव कल्पित मूलधन			
	क) हेजिंग के लिए			
	ख) व्यापार के लिए			
2.	प्रतिभूतियों की दैनिक बाजार मूल्य स्थिति [1]			
	क) आस्ति (+)			
	ख) देयता (-)			
3.	ऋण एक्सपोजर [2]			
4.	ब्याज दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)			
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर			
	ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर			
5.	वर्ष के दौरान अनुपालन किये गये 100*पीवी01 का अधिकतम तथा न्यूनतम			
	क) हेजिंग पर			
	ख) व्यापार पर			

टिप्पणी :

1. डेरिवेटिव के प्रत्येक प्रकार के लिए स्थिति के अनुसार आस्ति या देयता के अंतर्गत निवल स्थिति दर्शायी जाये।

2. वित्तीय संस्थाएं डेरिवेटिव उत्पादों के ऋण एक्सपोजर की माप पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित चालू एक्सपोजर पद्धति अपनाएं। अपनायी जानेवाली पद्धति संक्षेप में निम्नानुसार है :

चालू एक्सपोजर पद्धति के तहत तुलन-पत्र बाह्य ब्याज दर तथा विनिमय दर लिखतों के सममूल्य ऋण एक्सपोजर की गणना करने के लिए वित्तीय संस्था निम्नलिखित को जोड़ेगी :

- सकारात्मक मूल्यों (अर्थात् जब वित्तीय संस्था को प्रतिपक्ष से धन राशि प्राप्त होनी है) के साथ उसके सभी संविदाओं की कुल प्रतिस्थापन लागत ('बाज़ार मूल्य', के आधार पर प्राप्त), और
- ऋण एक्सपोजर में भविष्य में संभावित परिवर्तन के लिए राशि जिसका परिकलन संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि के अनुसार निम्नलिखित ऋण परिवर्तक गुणकों द्वारा गुणा की गई संविदा की कुल कल्पित मूलधन राशि के आधार पर किया गया है :

शेष परिपक्वता अवधि	आनुमानिक मूलधन राशि पर लागू किया जानेवाला परिवर्तक घटक	
	ब्याज दर ठेका	विनिमय दर ठेका
एक वर्ष से कम	कुछ नहीं	1.0%
एक वर्ष और उससे अधिक	0.5%	5.0%

3. डेरिवेटिव संविदाओं में प्रतिपक्षी ऋण एक्सपोजर के कारण बाजार दर पर आधारित मूल्यों (एमटीएम) की द्विपक्षीय नेटिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती। अतः, वित्तीय संस्थाओं को पूंजी पर्याप्तता और एक्सपोजर मानदंडों के लिए ऐसी संविदाओं के बाजार दर पर आधारित सकाल धनात्मक मूल्य को ही गणना में शामिल करना चाहिए।

अतिरिक्त प्रकटीकरण

1. जमाराशि, अग्रिम, एक्सपोजर तथा अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

जमाराशि का संकेंद्रण

(राशि करोड़ रुपये में)

बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि	
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	

अग्रिमों का संकेंद्रण *

(राशि करोड़ रुपये में)

बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि	
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	

* अग्रिमों की गणना एक्सपोजर संबंधी मानदंडों पर 01 जुलाई 2010 के हमारे मास्टर परिपत्र के अंतर्गत डेरिवेटिव सहित क्रेडिट एक्सपोजर की दी गई परिभाषा के अनुसार की जानी चाहिए ।

एक्सपोजर का संकेंद्रण**

(राशि करोड़ रुपये में)

बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति कुल एक्सपोजर	
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति एक्सपोजर का प्रतिशत	

** एक्सपोजर की गणना एक्सपोजर संबंधी मानदंडों पर 01 जुलाई 2010 के हमारे मास्टर परिपत्र के अंतर्गत निर्धारित ऋण और निवेश एक्सपोजर के आधार पर की जानी चाहिए ।

अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

(राशि करोड़ रुपये में)

चार शीर्षस्थ अनर्जक आस्ति खातों में कुल एकसपोजर	
---	--

II : क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियां

क्रमांक	क्षेत्र	संबंधित क्षेत्र में कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत
1	कृषि और संबद्ध गतिविधियां	
2	उद्योग (माइक्रो और लघु, मझौले और बड़े)	
3	सेवाएं	
4	वैयक्तिक ऋण	

III. अनर्जक आस्तियों की घट-बढ़

ब्यौरे	राशि करोड़ रुपये में
संबंधित वर्ष के 1ले अप्रैल को सकल अनर्जक आस्तियां (आरंभिक शेष)	
वर्ष के दौरान वृद्धि (नयी अनर्जक आस्तियां)	
उप-जोड़ (क)	
घटाएं :-	
(i) श्रेणी उन्नयन	
(ii) वसूली (जिन खातों का श्रेणी उन्नयन हुआ है उनसे वसूली को छोड़कर)	
(iii) बढ़े खाते	
उप-जोड़ (ख)	
अगले वर्ष के 31 मार्च को सकल अनर्जक आस्तियां (इति शेष) (क-ख)	

* 24 सितंबर 2009 के बैंपविवि परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 46/ 21.04.048/ 2009-10 के अनुबंध की मद सं. 2 के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियां

IV. विदेश स्थित आस्तियां, अनर्जक आस्तियां और आय

ब्यौरे	राशि (करोड़ रुपये में)
कुल आस्तियां	
कुल अनर्जक आस्तियां	
कुल आय	

V. तुलनपत्रेतर प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखा मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना चाहिए)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशी	विदेश स्थित

मौद्रिक नीति वक्तव्य 2013-14 से उद्धरण

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले अग्रिमों की पुनर्संरचना पर विवेकसम्मत दिशानिर्देश (प्रुडेंशियल गाइडलाइन्स)

81. दूसरी तिमाही समीक्षा में यह घोषणा की गई थी कि बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले अग्रिमों की पुनर्संरचना पर वर्तमान विवेकसम्मत (प्रुडेंशियल) दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए कार्यदल (अध्यक्ष: श्री बी.महापात्र) की सिफारिशों और इस संबंध में प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों की जांच की जा रही है और जनवरी 2013 के अंत तक ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। तदनुसार, 31 जनवरी 2013 को ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए गए और इस पर 28 फरवरी 2013 तक टिप्पणी मंगाई गई। प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि:

- बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले अग्रिमों की पुनर्संरचना पर विवेकसम्मत दिशानिर्देश (प्रुडेंशियल गाइडलाइन्स) मई 2013 के अंत तक जारी कर दिए जाएंगे।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिमों की पुनर्संरचना पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश

1. विनियामक सहिष्णुता का वापस लिया जाना

1.1 अग्रिमों के संबंध में 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण' पर 02 जुलाई 2012 के मास्टर परिपत्र (आईआरएसी मानदंड 2012 पर मास्टर परिपत्र) के अनुसार मौजूदा दिशानिर्देश कतिपय शर्तों के अधीन पुनर्रचित खातों के आस्ति वर्गीकरण पर विनियामक सहिष्णुता की अनुमति देते हैं, अर्थात् मानक खातों को उनके आस्ति वर्गीकरण में रहने दिया जाता है तथा एनपीए खातों की पुनर्संरचना के समय आस्ति वर्गीकरण में उन्हें और खराब नहीं होने दिया जाता है। बुनियादी संरचना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं तथा गैर-बुनियादी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के लिए वाणिज्यिक परिचालन के आरंभ होने की तिथि (डीसीसीओ) में परिवर्तन होने पर भी आस्ति वर्गीकरण लाभ उपलब्ध है (आईआरएसी मानदंड 2012 पर मास्टर परिपत्र के पैरा 4.2.15.3 और 4.2.15.4)।

1.2 यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं/भिन्न-भिन्न हैं, कार्यदल ने संस्तुति की है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अन्य क्षेत्राधिकारों में अपनाई जाने वाली प्रथा के अनुसार ऋणों और अग्रिमों की पुनर्संरचना पर आस्ति वर्गीकरण के संबंध में विनियामक सहिष्णुता को समाप्त कर दे। तथापि मौजूदा घरेलू समष्टि अर्थशास्त्रीय स्थिति के साथ-साथ वैश्विक स्थिति के मद्देनजर इस उपाय पर बाद में, जैसे कि 2 साल बाद, विचार किया जा सकता है। फिर भी, कार्यदल ने महसूस किया कि बुनियादी संरचना

परियोजना ऋणों के डीसीसीओ में परिवर्तन के मामलों में मौजूदा आस्ति वर्गीकरण लाभों को, विभिन्न प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने में आने वाली अनिश्चितताओं और राष्ट्रीय संवृद्धि और विकास में इस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए, कुछ और समय के लिए अनुमत किया जा सकता है।

1.3 भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त संस्तुतियों को स्वीकार करने और 01 अप्रैल 2015 से लागू करने का निर्णय लिया है। तदनुसार 01 अप्रैल 2015 से बुनियादी संरचना और गैर-बुनियादी संरचना परियोजना ऋणों के संबंध में डीसीसीओ परिवर्तनों से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर मौजूदा आस्ति वर्गीकरण लाभ, जो कतिपय शर्तों को पूरा करने पर पुनर्चना के लिए उपलब्ध हैं, वापस ले लिए जाएंगे (कृपया पैरा 2 देखें)। इसका तात्पर्य है कि किसी मानक खाते को (डीसीसीओ में परिवर्तन के अलावा अन्य कारणों से) पुनर्चना के बाद अवमानक के रूप में तत्काल वर्गीकृत कर दिया जाएगा तथा अनर्जक आस्तियों को भी वही आस्ति वर्गीकरण प्रदान किया जाता रहेगा जो उन्हें पुनर्चना के पूर्व प्राप्त था और वे पुनर्चना पूर्व चुकौती अनुसूची के संदर्भ में मौजूदा आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार और भी निम्नतर आस्ति वर्गीकरण श्रेणियों में चली जाएंगी।

2. डीसीसीओ में परिवर्तन

2.1 आईआरएसी मानदंड 2012 पर मास्टर परिपत्र के पैरा 4.2.15.3 और 4.2.15.4 में दिए गए मौजूदा अनुदेशों के अनुसार यदि डीसीसीओ (बुनियादी संरचना परियोजनाओं के लिए) दो वर्ष की अवधि के भीतर और (गैर-बुनियादी परियोजनाओं के लिए) छः माह के भीतर परिवर्तित हो जाता है तो मानक बुनियादी संरचना और गैर-बुनियादी संरचना परियोजना ऋण पुनर्चना के बाद कुछ शर्तों के अधीन मानक आस्ति वर्गीकरण बरकरार रख सकते हैं।

2.2 यह देखा गया है कि कई बार ऐसे मौके आते हैं जब विधिक और अन्य बाह्य कारणों, जैसे सरकारी अनुमोदनों इत्यादि में विलंब, से परियोजनाओं के पूरा होने में देरी होती है। इन सभी कारणों से परियोजना कार्यान्वयन में देरी हो सकती है और इससे डीसीसीओ विस्तारित हो सकता है तथा कई मामलों में बैंक ऋणों की पुनर्चना कर सकते हैं/चुकौती की समय-सारणी को पुनः तैयार कर सकते हैं। अतएव, जैसा कि कार्यदल ने संस्तुत किया है, अगली समीक्षा तक डीसीसीओ में परिवर्तन के कारण पुनर्चना के मामलों में बुनियादी संरचना परियोजनाओं के मौजूदा आस्ति वर्गीकरण लाभों को जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

2.3 बैंकों ने अभ्यावेदन किया है कि जैसा बुनियादी संरचना परियोजनाओं के मामले में होता है, गैर-बुनियादी संरचना परियोजना को भी डीसीसीओ प्राप्त करने में इसी प्रकार की वास्तविक

कठिनाइयां आती हैं और गैर-बुनियादी परियोजनाओं के डीसीसीओ में परिवर्तन पर मिलने वाले मौजूदा लाभ भी कुछ और समय के लिए दिए जाने चाहिए। हमने उक्त आवेदनों की जांच की है और यह निर्णय लिया गया है कि आईआरएसी मानदंड 2012 पर मास्टर परिपत्र के पैरा 4.2.15.4 के अनुसार डीसीसीओ के विस्तार के कारण होने वाली पुनर्रचना पर कार्यान्वयन के अधीन गैर-बुनियादी परियोजनाओं के लिए उपलब्ध मौजूदा आस्ति वर्गीकरण लाभ अगली समीक्षा होने तक बरकरार रखे जाएं।

2.4 बैंकों ने यह अभ्यावेदन भी किया है कि यह अनुदेश कि किसी गैर-बुनियादी संरचना के लिए ऋण यदि वास्तविक डीसीसीओ से छः माह के भीतर वाणिज्यिक परिचालन आरंभ करने में असफल रहता है, तो उसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, भले ही यह [आईआरएसी मानदंड 2012 पर मास्टर परिपत्र का पैरा 4.2.15.4(ii)] वसूली के रिकार्ड के अनुसार नियमित था, समान स्थिति में बुनियादी [आईआरएसी मानदंड 2012 पर मास्टर परिपत्र का पैरा 4.2.15.3(ii)] संरचना ऋणों के लिए विस्तारित दो वर्ष की बृहतर अवधि के अनुरूप नहीं था और, इसलिए समान बाह्य कारणों से डीसीसीओ प्राप्त करने में विलंब के मद्देनजर गैर-बुनियादी संरचना ऋणों को समनुरूपी बृहतर अवधि भी दी जा सकती है। यह निर्णय लिया गया है कि उनका अनुरोध माना जाए और 'मूल डीसीसीओ से छह माह' की निर्धारित अवधि को बढ़ाकर 'मूल डीसीसीओ से एक वर्ष' किया जाए, जिसके भीतर किसी गैर-बुनियादी संरचना परियोजना को वाणिज्यिक परिचालन आरंभ करना होगा, ताकि आईआरएस मानदंड 2012 के मास्टर परिपत्र के पैरा 4.2.15.4(ii) का अनुपालन है। परिणामतः यदि वाणिज्यिक परिचालन को आरंभ करने में विलंब वित्तीय समापन के समय निर्धारित पूर्णता की तारीख से 1 वर्ष की अवधि से अधिक होता है, बैंक नया डीसीसीओ निर्धारित कर सकते हैं तथा संबंधित प्रावधानों के अनुसार खातों को पुनर्रचित कर 'मानक' वर्गीकरण बरकरार रख सकते हैं बशर्ते कि नया डीसीसीओ मूल डीसीसीओ से 2 वर्ष की अवधि से अधिक न बढ़े।

2.5 बैंकों को अपने पुनर्रचित मानक बुनियादी संरचना और गैर-बुनियादी संरचना परियोजना ऋणों पर नीचे दिए पैरा 3 के अनुसार प्रावधान करना होगा जो ऋणों की डीसीसीओ में विस्तार/पुनर्रचना के कारण उचित मूल्य में आई कमी के लिए किए गए प्रावधान के अलावा होगा।

2.6 आईआरएसी मानदंड 2012 पर मास्टर परिपत्र के पैरा 4.2.15.3(v) और 4.2.15.4(iv) में कहा गया है कि इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन से, डीसीसीओ के विस्तार मात्र को पुनर्रचना माना जाएगा, भले ही अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित हों। बैंकों ने हमें अभ्यावेदन किया है कि यह प्रावधान किसी बुनियादी संरचना और गैर-बुनियादी संरचना ऋण की पुनर्रचना अथवा डीसीसीओ में बाद में किये गये किसी बदलाव को, डीसीसीओ [आईआरएसी मानदंड 2012 पर मास्टर परिपत्र के

पैरा 4.2.15.3(ii) और 4.2.15.4(ii)] के बदलने पर आस्ति वर्गीकरण लाभ बरकरार रखने के लिए स्वीकार्य समयावधि के भीतर भी दोहराई गई पुनर्रचना बना देता है। इस मुद्दे की छानबीन की गई और यह निर्णय लिया गया कि यदि संशोधित डीसीसीओ बुनियादी संरचना परियोजनाओं तथा गैर बुनियादी संरचना परियोजनाओं के लिए क्रमशः मूल डीसीसीओ से दो वर्ष तथा एक वर्ष के भीतर पड़ता है तो केवल डीसीसीओ का विस्तार पुनर्रचना नहीं माना जाएगा। ऐसे मामलों में डीसीसीओ के विस्तार की तुलना में (संशोधित चुकौती समय-सारणी के आरंभ और समापन की तारीखों सहित) समान या लघुतर अवधि के साथ चुकौती अवधि में होने वाला परिणामी परिवर्तन भी पुनर्रचना नहीं माना जाएगा बशर्ते ऋण की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहें। ऐसे में परियोजना ऋणों को सभी मामलों में मानक आस्तियों के रूप में माना जाएगा तथा उन पर 0.4 प्रतिशत का मानक आस्ति प्रावधान लागू होगा।

2.7 हमें यह अभ्यावेदन भी प्राप्त हुआ है कि वाणिज्यिक स्थावर संपदा (सीआरई) परियोजनाएं भी बाह्य कारणों से डीसीसीओ प्राप्त करने में विलंब की समस्या का सामना करती हैं। इसके अतिरिक्त, चूंकि ऐसे मामलों में मौजूदा अनुदेशों के अंतर्गत डीसीसीओ का मात्र विस्तार ही पुनर्रचना माना जाएगा, बैंक ऐसी अधूरी परियोजनाओं को ऋण प्रदान करने से हिचकते हैं जिनके मूल डीसीसीओ में विलंब हो। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि यदि संशोधित डीसीसीओ मूल डीसीसीओ से एक वर्ष की अवधि के भीतर हो और जिस अवधि के लिए डीसीसीओ बढ़ाया गया है, केवल चुकौती अनुसूची और ऋण की चुकौती में समान अथवा लघुतर अवधि के संभावित परिवर्तन को छोड़कर अन्य नियमों और शर्तों में परिवर्तन न हो, तो सीआरई परियोजनाओं के मामले में भी केवल डीसीसीओ का विस्तार पुनर्रचना नहीं माना जाएगा। ऐसे सीआरई परियोजना ऋणों को इस उद्देश्य के लिए सभी प्रकार से मानक आस्तियों के रूप में माना जाएगा और उन पर पुनर्रचित मानक परिसंपत्तियों के लिए लागू उच्चतर प्रावधान लागू नहीं होगा। तथापि, पूर्व की भांति, यदि सीआरई परियोजनाएं पुनर्रचित हुईं तो उनके लिए आस्ति वर्गीकरण लाभ उपलब्ध नहीं होंगे।

2.8 इसके अलावा, बैंकों ने यह अभ्यावेदन भी किया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत आने वाली परियोजनाएं अपेक्षित शर्तों का पालन करने में रियायत प्राधिकारी की असमर्थता के कारण (रियायत समझौते में यथापरिभाषित) निर्धारित तिथि में परिवर्तन के कारण विस्तारित हो सकती हैं और डीसीसीओ में इस प्रकार का विस्तार पुनर्रचना माना जाता है, भले ही निर्धारित तिथि में परिवर्तन पर उधारकर्ता का कोई नियंत्रण न हो। उक्त के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है कि पूर्वोक्त कारणों से डीसीसीओ में होने वाले विस्तार को निम्नलिखित शर्तों के अधीन पुनर्रचना के रूप में न मानने के लिए अनुमत किया जाए:

- क) परियोजना किसी सरकारी प्राधिकारी द्वारा आबंटित पीपीपी मॉडल के अंतर्गत बुनियादी संरचना परियोजना हो;
- ख) ऋण का संवितरण अभी शुरू न हुआ हो;
- ग) उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच डीसीसीओ की परिवर्तित तिथि के संबंध में एक पूरक करार के माध्यम से दस्तावेज तैयार किया गया हो; और
- घ) परियोजना की व्यवहार्यता का पुनर्मूल्यांकन हो चुका हो और पूरक करार के समय सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी प्राप्त कर ली गई हो।

2.9 पुनर्रचना के उक्त सभी मामलों में जिनमें विनियामक छूट दी गई है, बैंकों के बोर्डों को परियोजना और पुनर्रचना योजना की व्यवहार्यता (अर्थक्षमता) के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए।

2.10 इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए, 'परियोजना ऋण' का तात्पर्य होगा कोई मीयादी ऋण जो किसी प्रकार का आर्थिक उद्यम स्थापित करने के प्रयोजन से दिया गया हो। बुनियादी संरचना क्षेत्र वह क्षेत्र है जो 'बुनियादी संरचना क्षेत्र को दिये जानेवाले ऋण की परिभाषा' पर भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा परिपत्र में परिभाषित है। उधारकर्ताओं के लिए वित्तीय समापन के समय सभी परियोजनाओं के लिए 'पूर्णता की तिथि' और 'डीसीसीओ की तिथि' दर्शाना अनिवार्य है और इसे औपचारिक रूप से दस्तावेज में दर्ज होना चाहिए। इसे ऋण की मंजूरी के समय बैंक द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन नोट में भी दर्ज होना चाहिए।

2.11 यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आईआरएसी मानदंड 2012 पर मास्टर परिपत्र के पैरा 4.2.15.5(ii) में दिए गए प्रावधान, जो किसी परियोजना के दायरे और आकार में वृद्धि के कारण परियोजना के लिए आवश्यक पूंजी में हुई वृद्धि की वजह से परियोजना ऋण की चुकौती अनुसूची में किसी परिवर्तन के कारण किसी खाते को पुनर्रचित खाता न मानने से संबंधित हैं, कुछ शर्तों के अधीन प्रभावी बने रहेंगे।

3. पुनर्रचित मानक खातों पर सामान्य प्रावधान

3.1 [दिनांक 18 मई 2011 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 94/21.04.048/2011-12](#) के अनुसार बैंकों से अपेक्षित है कि वे भिन्न-भिन्न अवधियों के लिए पुनर्रचित मानक खातों पर 2.00 प्रतिशत का प्रावधान करें जिसका आधार यह होगा कि कोई खाता पुनर्रचित मानक खाते के रूप में किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात् आरंभ से ही या उन्नयन होने पर या बुनियादी और

गैर-बुनियादी परियोजनाओं के डीसीसीओ में परिवर्तन के कारण आस्ति वर्गीकरण बनाए रखने पर।

3.2 जब तक आस्ति वर्गीकरण पर विनियामक सहिष्णुता को समाप्त किया जाता है, तब तक पुनर्चित मानक आस्तियों में अंतर्निहित जोखिम की विवेकपूर्ण तरीके से पहचान करने के लिए कार्यदल ने संस्तुति की है कि ऐसे खातों पर प्रावधान अपेक्षाओं को मौजूदा 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर देना चाहिए। इसे नई पुनर्चनाओं (फ्लो) के मामले में तुरंत लागू कर देना चाहिए किंतु मौजूदा मानक पुनर्चित खातों (स्टॉक) के लिए दो वर्ष की अवधि के दौरान चरणबद्ध तरीके से लागू करना चाहिए।

3.3 तात्कालिक उपाय के तौर पर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 नवंबर 2012 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 63/21.04.048/2012-13 द्वारा पुनर्चित मानक खातों पर प्रावधान को 2.00 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.75 प्रतिशत कर दिया। अब निर्णय लिया गया है कि 1 जून 2013 से नए पुनर्चित मानक खातों (फ्लो) प्रावधान को बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया जाए और 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार पुनर्चित मानक खातों के स्टॉक के लिए निम्नलिखित के अनुसार चरणबद्ध रूप से प्रावधान बढ़ाया जाए।

- 3.50 प्रतिशत - 31 मार्च 2014 से (2013-14 की चारों तिमाहियों में लागू)
- 4.25 प्रतिशत - 31 मार्च 2015 से (2014-15 की चारों तिमाहियों में लागू)
- 5.00 प्रतिशत - 31 मार्च 2016 से (2015-16 की चारों तिमाहियों में लागू)

4. पुनर्चित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान

4.1 वर्तमान में आईआरएसी मानदंड 2012 पर मास्टर परिपत्र के पैरा 11.4 के अनुसार पुनर्चित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी की गणना की पद्धति और उसकी आवश्यकता के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।

4.2 कार्यदल का विचार था कि खातों के उचित मूल्य में आई कमी की गणना से संबंधित मौजूदा अनुदेश उचित थे और वे उचित मूल्य में हास को सही प्रकार से व्यक्त करते थे। अतएव उन्हें जारी रखा जा सकता है। यह सिफारिश भी की गई कि छोटी/ग्रामीण शाखाओं में सभी पुनर्चित खातों, जहां बैंक को देय कुल राशि एक करोड़ रुपये से कम है, के संबंध में छोटे खातों के उचित मूल्य में हास की गणना कुल एक्सपोजर के 5 प्रतिशत पर नोशनल आधार पर करने का विकल्प दीर्घावधि आधार पर उपलब्ध कराया जाए।

4.3 हमें विभिन्न हितधारकों की ओर से टिप्पणियां भी प्राप्त हुई हैं कि छोटे खाते, जहां बैंक के प्रति कुल बकाया रकम 1 करोड़ से कम है, उनके उचित मूल्य में गिरावट को कल्पित (नोशनल) आधार पर गणना करने के विकल्प की सुविधा सभी शाखाओं में दी जानी चाहिए।

4.4 उक्त सिफारिश और सुझाव को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है; तदनुसार ऐसे सभी पुनर्चित खातों के संबंध में, जिनमें बैंक(कों) के प्रति बकायों की कुल राशि एक करोड़ रुपये से कम है, छोटे खातों के उचित मूल्य में हास की गणना छोटे/ग्रामीण शाखाओं के कुल एक्सपोजर के 5 प्रतिशत पर नोशनल आधार पर करने का विकल्प सभी शाखाओं में, इस संबंध में आगे समीक्षा किए जाने तक, उपलब्ध होगा।

4.5 यद्यपि कार्यदल का मानना था कि खातों के उचित मूल्य में गिरावट की गणना से संबंधित मौजूदा अनुदेश उचित थे और उचित मूल्य में गिरावट की सही गणना करते थे, हमने पाया है कि कुछ अवसरों पर बैंकों द्वारा उचित मूल्य में हास की गणना में भिन्नताएं आई हैं। हमारे मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, अग्रिम के उचित मूल्य में हास की गणना पुनर्चना के पहले और बाद में ऋण के उचित मूल्य के बीच अंतर के रूप में करना चाहिए। पुनर्चना से पहले ऋण के उचित मूल्य की गणना नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के रूप में की जाएगी जो (पुनर्चना के पूर्व अग्रिम पर लगाई गई विद्यमान दर पर) ब्याज को दर्शाती है तथा मूलधन, जिसे बैंक के बीपीएलआर अथवा आधार दर (उधारकर्ता के लिए जो भी लागू हो) के बराबर दर पर पुनर्चना की तिथि को डिस्काउंट किया गया हो और समुचित टर्म प्रीमियम तथा उधारकर्ता की श्रेणी के लिए क्रेडिट जोखिम प्रीमियम को दर्शाता है। पुनर्चना के बाद ऋण के उचित मूल्य की गणना नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के रूप में की जाएगी जो (पुनर्चना के बाद अग्रिम पर लगाई गई दर पर) ब्याज तथा मूलधन, जिसे पुनर्चना की तिथि पर लागू बैंक के बीपीएलआर अथवा आधार दर (उधारकर्ता के लिए जो भी लागू हो) के बराबरी की दर पर डिस्काउंट किया गया हो और समुचित टर्म प्रीमियम तथा पुनर्चना की तिथि को उधारकर्ता की श्रेणी के लिए साख जोखिम प्रीमियम दर्शाती है।

4.6 उदाहरणार्थ, पुनर्चना पर चुकौती अवधि के बढ़ जाने के कारण यदि बैंक टर्म प्रीमियम की समुचित गणना नहीं करते हैं तो भिन्नताएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में पुनर्चना के बाद नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य की गणना करते समय प्रयुक्त टर्म प्रीमियम, पुनर्चना के पूर्व नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य की गणना करते समय प्रयुक्त टर्म प्रीमियम से अधिक होगा। इसके अलावा पुनर्चना पर कर्ज/ईक्विटी लिखतों में रूपांतरित मूलधन की राशि को एफएस (बिक्री के लिए उपलब्ध) के अंतर्गत धारण करना होगा और उसका मूल्य निर्धारण सामान्य मूल्यांकन मानकों के अनुसार करना होगा। चूंकि ये लिखत बाजार की दर पर आधारित किए जा रहे हैं, ऐसे मूल्य

निर्धारण से उचित मूल्य में गिरावट अभिव्यक्त हो जाती है। अतएव, उचित मूल्य में आई गिरावट का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए कर्ज/ईक्विटी में अपरिवर्तित किये गये मूलधन के भाग की एनपीवी (निवल वर्तमान मूल्य) की गणना अलग से करनी होगी। तथापि बैंक के लिए कुल त्याग की जाने वाली राशि उक्त अंश की एनपीवी और कर्ज/ईक्विटी लिखतों में परिवर्तन के कारण मूल्यांकन हानि का योग होगी। प्रवर्तकों द्वारा त्याग की जाने वाली अपेक्षित राशि उक्तानुसार संगणित संपूर्ण त्याग राशि पर आधारित होगी।

4.7 अतएव, बैंकों को सूचित किया जाता है कि उन्हें पुनर्चित खातों के उचित मूल्य का सही आकलन करना चाहिए क्योंकि यह उनके द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित प्रावधान को ही नहीं बल्कि प्रवर्तकों से त्याग के लिए अपेक्षित रकम को भी प्रभावित करेगा। इसके अतिरिक्त बैंकों द्वारा वित्तीय इंजीनियरिंग का सहारा लेकर नकदी प्रवाह के निवल वर्तमान मूल्य को कृत्रिम रूप से कम करने की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए। बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे पुनर्चित खातों के उचित मूल्य में हास की सटीक गणना सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण एवं संतुलन (चेक एंड बैलेंस) की सुदृढ़ प्रणाली स्थापित करें।

5. पुनर्चना के बाद एनपीए के रूप में वर्गीकृत खाते के अपग्रेडेशन के लिए मानदंड

5.1 आईआरएसी मानदंड 2012 पर मास्टर परिपत्र के पैरा 11.2.3 में दिए गए मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, वे सभी पुनर्चित खाते जिन्हें पुनर्चना के बाद एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है 'विनिर्दिष्ट अवधि' के दौरान 'संतोषजनक कार्य निष्पादन करने के उपरांत, 'मानक' श्रेणी के रूप में अपग्रेडेशन के लिए पात्र होंगे। साथ ही, 'विनिर्दिष्ट अवधि' और 'संतोषजनक कार्य निष्पादन' को उक्त मास्टर परिपत्र के अनुबंध 5 में परिभाषित किया गया है।

5.2 कार्यदल ने पाया कि मूलधन व ब्याज के बड़े हिस्से के भुगतान के अधिस्थगन के साथ पुनर्चना के कुछ मामलों में, खाते विनिर्दिष्ट अवधि के लिए केवल कर्ज के छोटे हिस्से पर ब्याज के भुगतान, जैसे कि एफआईटीएल, के आधार पर अपग्रेड किए गए थे। ऐसे खाते में अंतर्निहित क्रेडिट कमजोरी हो सकती है क्योंकि ऋण के लघु हिस्से पर ब्याज का भुगतान 'संतोषजनक कार्य निष्पादन' का प्रमाण नहीं है।

5.3 अतएव, कार्यदल ने अनुशंसा की है कि बहुल ऋण सुविधाओं के साथ पुनर्चना के मामलों में 'विनिर्दिष्ट अवधि' को, अधिस्थगन की अधिकतम अवधि वाली ऋण सुविधा के ब्याज या मूलधन की पहली चुकौती जो भी बाद में हो की शुरुआत से एक वर्ष के रूप में पुनर्परिभाषित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कार्यदल ने यह अनुशंसा भी की कि बैंक द्वारा पुनर्चना पर एनपीए के

रूप में वर्गीकृत खाते तभी अपग्रेड किए जाने चाहिए जब इस विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान खाते में सभी बकाया ऋण/सुविधाएं संतोषजनक रूप से कार्य-निष्पादन कर रही हैं, अर्थात् खाते में सभी सुविधाओं पर मूलधन और ब्याज की सर्विसिंग भुगतान की शर्तों के अनुसार की जाती है।

5.4 तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि 'विनिर्दिष्ट अवधि' को पुनर्रचना पैकेज की शर्तों के अधीन अधिस्थगन की अधिकतम अवधि वाली ऋण सुविधा पर ब्याज या मूलधन की पहली चुकौती की शुरुआत जो भी बाद में हो से एक वर्ष की अवधि, के रूप में पुनर्परिभाषित किया जाना चाहिए।

5.5 परिणामतः एनपीए के रूप में वर्गीकृत मानक खाते तथा बैंक द्वारा पुनर्रचित उसी श्रेणी में रखे गये एनपीए खाते तभी अपग्रेड किये जाने चाहिए जब इस विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान खाते में सभी बकाया ऋण/सुविधाएं संतोषजनक रूप से कार्य-निष्पादन कर रही हैं, अर्थात् खाते में सभी सुविधाओं पर मूलधन और ब्याज की सर्विसिंग भुगतान की शर्तों के अनुसार की जा रही है।

6. अर्थक्षमता मानदंडों से संबंधित बेंचमार्क

6.1 आईआरएसी मानदंड 2012 पर मास्टर परिपत्र के पैरा 11.1.4 के अनुसार बैंक किसी खाते की पुनर्रचना तब तक नहीं करेंगे जब तक वित्तीय व्यवहार्यता स्थापित नहीं हुई हो और पुनर्रचना पैकेज की शर्तों के अनुसार उधारकर्ता द्वारा चुकौती की समुचित निश्चितता न हो। व्यवहार्यता का निर्धारण बैंकों द्वारा स्वनिर्धारित व्यवहार्यता बेंचमार्क के आधार पर किया जाना चाहिए और इसे प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर मामला-दर-मामला आधार पर लागू किया जा सकता है। इस संबंध में प्रत्येक पैमाने (संदर्भ - आईआरएसी मानदंड 2012 पर मास्टर परिपत्र के अनुबंध 4 के अंतर्गत पैरा 3.4) के लिए कोई बेंचमार्क दिए बिना भारतीय रिज़र्व बैंक ने कुछ व्यवहार्यता पैमाने उदाहरण देकर समझाये हैं।

6.2 कार्यदल ने अनुशंसा की है कि भारतीय रिज़र्व बैंक सीडीआर प्रकोष्ठ द्वारा प्रयुक्त व्यवहार्यता मापदंड के आधार पर विस्तृत बेंचमार्क निर्धारित करे; और बैंक इन्हें विशिष्ट क्षेत्रों के लिए समुचित समायोजन, यदि हों, के साथ, उचित तौर पर अपना सकते हैं।

6.3 ऐसा महसूस किया गया है कि इस संबंध में निर्धारित विस्तृत बेंचमार्क बैंकों द्वारा व्यवहार्यता के उनके स्वयं के बेंचमार्क बनाने में सहायक होंगे। तथापि, चूंकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न-भिन्न कार्य-निष्पादन संकेतक होते हैं, यह वांछनीय होगा कि बैंक समुचित संशोधनों के साथ इन विस्तृत बेंचमार्क को अपनाएं।

6.4 अतएव, यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों द्वारा व्यवहार्यता का निर्धारण स्वीकार्य व्यवहार्यता मापदंड और उनके द्वारा निर्धारित प्रत्येक पैमाने के बेंचमार्क के आधार पर किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, विस्तृत व्यवहार्यता मापदंड में लगाई गई पूंजी का प्रतिफल, ऋण सेवा कवरेज अनुपात, प्रतिफल की आंतरिक दर और निधियों की लागत के बीच अंतर एवं पुर्नरचित अग्रिम के उचित मूल्य में कमी के एवज में अपेक्षित व्यवस्था की राशि शामिल होते हैं। सीडीआर प्रणाली द्वारा अपनाये जाने वाले व्यवहार्यता मापदंड के लिए बेंचमार्क परिशिष्ट में दिए गए हैं और प्रत्येक बैंक गैर-सीडीआर मामलों में खातों की पुर्नरचना करते समय समुचित समायोजन के साथ, यदि कोई हों तो, इन्हें उचित रूप से अपना सकते हैं।

7. व्यवहार्यता समयावधि

7.1 वर्तमान में, व्यवहार्यता प्राप्त करने के लिए समयावधि को पुर्नरचना के संबंध में विशिष्ट आस्ति वर्गीकरण लाभ के लिए शर्तों में से एक शर्त के रूप में निर्धारित किया गया है। इस प्रयोजन से, आईआरएसी मानदंड 2012 के संबंध में मास्टर परिपत्र के पैरा 14.2.2(II) में शर्त दी गई है कि यदि कोई इकाई बुनियादी संरचना संबंधी कार्य में संलग्न हो, तो वह 10 वर्षों में और अन्य इकाइयां 7 वर्षों में व्यवहार्य हो जानी चाहिए।

7.2 कार्यदल ने महसूस किया कि पुर्नरचना के संबंध में व्यवहार्य होने के लिए गैर-बुनियादी संरचना वाले उधार खातों के लिए सात वर्ष और मूलभूत संरचना वाले खातों के लिए दस वर्ष की निर्धारित समयावधि बहुत अधिक थी और बैंक इसे अधिकतम सीमा मानें।

7.3 कार्यदल की अनुशंसा के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि बैंक सुनिश्चित करें कि यदि कोई इकाई बुनियादी संरचना के कार्य में लगी हो, तो पुर्नरचना के लिए अपनाई गई इकाई 8 वर्षों में व्यवहार्यता प्राप्त कर लेती है और अन्य मामलों में 5 वर्षों में।

8. पुर्नरचना पैकेज के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन

8.1 आईआरएसी मानदंड, 2012 पर मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 14.2.1 में दिए गए मौजूदा अनुदेश के अनुसार बैंक के पास अग्रिम की पुर्नरचना के लिए आवेदन के लंबित होने के दौरान, सामान्य आस्ति वर्गीकरण मानदंडों का लागू होना जारी रहेगा। तथापि, पैकेज के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन के रूप में, यदि अनुमोदित पैकेज निम्नलिखित समय-सारणी के अनुसार और कतिपय शर्तों को पूरा किए जाने के आधार पर बैंक द्वारा कार्यान्वित किया जाता है तो आस्ति वर्गीकरण की स्थिति को उस अवस्था में वापस लाया जा सकता है जो सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत शामिल

मामलों के संबंध में सीडीआर प्रकोष्ठ को संदर्भ भेजते समय अथवा गैर-सीडीआर मामलों में पुनर्चना आवेदन पत्र बैंकों द्वारा प्राप्त करते समय मौजूद थी:

- (I) सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत अनुमोदन की तिथि से 120 दिन के भीतर;
- (II) सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत पुनर्चित मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में बैंक द्वारा आवेदन प्राप्ति की तिथि से 90 दिन के भीतर।

8.2 गैर-सीडीआर पुनर्चनाओं के मामले में, यदि पुनर्चना पैकेज आवेदन प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के भीतर लागू हो जाता है, तो आस्ति वर्गीकरण लाभ उपलब्ध रहेगा। चूंकि आवेदन प्राप्ति के बाद 90 दिन की अवधि खाते की व्यवहार्यता ठीक से सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त मानी जाती है, इसलिए कार्यदल ने अनुशंसा की है कि एसएमई ऋण पुनर्चना प्रणाली सहित गैर-सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत शीघ्र कार्यान्वयन के लिए अवधि को बढ़ाकर आवेदन की तिथि से 120 दिन किया जाना चाहिए।

8.3 तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि यदि अनुमोदित पैकेज बैंक द्वारा आवेदन प्राप्ति की तिथि से 120 दिनों के भीतर लागू किया जाता है तो गैर-सीडीआर मामले में पुनर्चना पैकेज के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन इसके बाद से उपलब्ध होगा। जहां तक सीडीआर प्रणाली का संबंध है, समयावधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

8.4 तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस परिपत्र में यथाविनिर्दिष्ट बुनियादी संरचना और गैर-बुनियादी संरचना वाले परियोजना ऋण के डीसीसीओ के परिवर्तन द्वारा पुनर्चना के मामले को छोड़कर 1 अप्रैल 2015 से पुनर्चना के संबंध में विनियामक सहिष्णुता के वापस लिये जाने पर ऐसा कोई भी प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं होगा।

9. अल्पकालिक ऋणों का पुनर्निर्धारण

9.1 आईआरएसी मानदंड 2012 से संबंधित मास्टर परिपत्र के अनुबंध 5 में 'महत्वपूर्ण अवधारणाएं' के अंतर्गत क्रम सं. (IV) में दिए गए अनुदेशों के अनुसार पुनर्चित खाते को ऐसे खाते के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां बैंक, उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई से संबंधित आर्थिक अथवा विधिक कारणों से, उधारकर्ता को ऐसे छूट देता है जिन पर वह अन्य परिस्थिति में विचार नहीं करता। पुनर्चना में सामान्य रूप से अग्रिमों/प्रतिभूतियों की शर्तों के संशोधन शामिल होंगे जिसमें सामान्यतः अन्य बातों के साथ भुगतान अवधि/भुगतान की राशि/ किस्त की राशि/ब्याज की राशि में बदलाव (प्रतिस्पर्धा कारणों के बजाय अन्य कारण से) शामिल होंगे। इस परिभाषा के मद्देनजर,

किसी अल्पकालिक ऋण के किसी भी पुनर्निर्धारण को 'पुनर्चना' माना जाएगा।

9.2 कार्यदल ने अनुशंसा की है कि भारतीय रिज़र्व बैंक यह स्पष्ट करे कि अल्पकालिक ऋणों के पुनर्निर्धारण के ऐसे मामले, जिसमें मंजूरी पूर्व समुचित मूल्यांकन किया गया है और उधारकर्ता की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर पुनर्निर्धारण की अनुमति दी गई है तथा उधारकर्ता की साख में कमजोरी के कारण कोई छूट प्रदान नहीं की गई है, तो इनको पुनर्चित खाता नहीं माना जा सकता है। तथापि, यदि ऐसे खाते का दो से अधिक बार पुनर्निर्धारण हो तो उसे पुनर्चित खाता मानना होगा। इसके अतिरिक्त, ऐसी सुविधाएं प्रदान करते समय बैंकों को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि उधारकर्ता संघीय सहायता के अंतर्गत या एकाधिक बैंकिंग के अंतर्गत दूसरे बैंकों से समान सुविधाएं प्राप्त कर सकता है।

9.3 संस्तुति को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रावधान के प्रयोजन से अल्पकालिक ऋण के अंतर्गत परिक्रामी नकद ऋण अथवा कार्यशील पूंजी मांग ऋण जैसे समुचित नीति से मूल्यांकित नियमित कार्यशील पूंजी ऋण शामिल नहीं हैं।

10. प्रवर्तकों द्वारा त्याग

10.1 आईआरएसी मानदंड 2012 पर मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 14.2.2(IV) में दिए गए मौजूदा अनुदेश के अनुसार पुनर्चना के संबंध में विनियामक आस्ति वर्गीकरण लाभ के लिए पात्रता की शर्तों में से एक यह है कि प्रवर्तकों द्वारा त्याग और उनके द्वारा लाई गई अतिरिक्त निधियां बैंक के त्याग का कम-से-कम 15 प्रतिशत होना चाहिए। 'बैंक द्वारा त्याग' का अर्थ है 'अग्रिम के उचित मूल्य में हास'। यह भी निर्धारित किया गया है कि प्रवर्तकों द्वारा त्याग को दो किस्तों में लाया जा सकता है और इसे वहां दर्शाए अनुसार विभिन्न रूपों में लाया जा सकता है।

10.2 कार्यदल ने अनुशंसा की है कि भारतीय रिज़र्व बैंक सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत बृहत् एक्सपोजर की पुनर्चना के मामले में प्रवर्तकों द्वारा त्याग की अधिक बड़ी राशि निर्धारित करने पर विचार कर सकता है। इसके अतिरिक्त कार्यदल ने यह अनुशंसा की है कि प्रवर्तक का योगदान उचित मूल्य में कमी का कम-से-कम 15 प्रतिशत अथवा पुनर्चित कर्ज का 2 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, निर्धारित होना चाहिए।

10.3 यह निर्णय लिया गया है कि प्रवर्तकों का त्याग और उनके द्वारा लाई गई अतिरिक्त निधि बैंकों के त्याग का कम-से-कम 20 प्रतिशत अथवा पुनर्चित कर्ज का 2 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, होनी चाहिए। यह निर्धारण न्यूनतम है और बैंक परियोजना में शामिल जोखिम के आधार पर

और प्रवर्तक की अधिक से अधिक त्याग राशि लाने की क्षमता के आधार पर प्रवर्तकों द्वारा अधिक त्याग निर्धारित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसे अधिक त्याग की राशि पर बड़े खातों में, विशेषकर सीडीआर खातों में निरपवाद रूप से जोर दिया जाए। उधारकर्ता को पुनर्चना का लाभ देते समय प्रवर्तक के त्याग को निरपवाद रूप से पहले ही लाया जाए।

11. ऋण का ईक्विटी/अधिमानी शेयर में परिवर्तन

11.1 वर्तमान में आईआरएसी मानदंड 2012 पर मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 15.1, 15.2 एवं 15.3 द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और सेबी की संबंधित विनियमावली के अंतर्गत सांविधिक अपेक्षा के अनुपालन के अधीन अग्रिमों की पुनर्चना के संबंध में ईक्विटी/अधिमानी शेयर में परिवर्तित किये जा सकने वाले ऋण के प्रतिशत पर कोई नियामक सीमा नहीं है।

11.2 कार्यदल ने अनुशंसा की है कि ऋण के अधिमानी शेयर में परिवर्तन केवल अंतिम विकल्प के रूप में ही किया जाना चाहिए और ऋण के ईक्विटी/अधिमानी शेयर में ऐसे परिवर्तन किसी भी स्थिति में एक सीमा (जैसे कि पुनर्चित ऋण का 10 प्रतिशत) तक ही रोक लिए जाने चाहिए। कार्यदल ने यह भी अनुशंसा की है कि ऋण का ईक्विटी में परिवर्तन केवल सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में होना चाहिए।

11.3 अनुशंसा को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है और तदनुसार बैंकों का मार्गदर्शन किया जाए।

12. मुआवजे का अधिकार

12.1 आईआरएसी मानदंड 2012 पर मास्टर परिपत्र के अनुबंध 4 के अंतर्गत पैरा 5.7 में दिए गए मौजूदा अनुदेश के अनुसार सीडीआर अनुमोदित सभी पैकेजों में चुकौती में तेजी लाने के ऋणदाता के अधिकार और उधारकर्ताओं द्वारा अवधिपूर्व भुगतान के अधिकार को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। मुआवजे का अधिकार स्थायी फोरम द्वारा निर्धारित कतिपय निष्पादन मापदंड पर आधारित होना चाहिए।

12.2 कार्यदल ने अनुशंसा की है कि सीडीआर स्थाई फोरम/कोर ग्रुप इस पर विचार करें कि क्या मुआवजे के संबंध में उनके नियम सीडीआर प्रकोष्ठ से उधारकर्ताओं की निकासी को सुगम बनाने के लिए थोड़ा लचीले बनाये जाने चाहिए अथवा नहीं। तथापि, कार्यदल ने यह अनुशंसा भी की है कि गणना किए गए मुआवजे की 75 प्रतिशत राशि उधारकर्ताओं से किसी भी स्थिति में वसूली जानी चाहिए और पुनर्चना के ऐसे मामलों में जिसमें कोई सुविधा उधार दर से कम में दी गई है,

मुआवजे की 100 प्रतिशत राशि वसूली जानी चाहिए।

12.3 कार्यदल ने इस बात की भी अनुशंसा की है कि 'मुआवजे' के नियम का वर्तमान सिफारिशी स्वरूप गैर-सीडीआर पुनर्रचना के मामलों में भी अनिवार्य किया जाना चाहिए।

12.4 तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि सभी पुनर्रचित पैकेजों में 'मुआवजे का अधिकार' शर्त शामिल किया जाना चाहिए और यह उधारकर्ता के कतिपय कार्य-निष्पादन मापदंडों पर आधारित होना चाहिए। किसी भी प्रकार मुआवजे की 75 प्रतिशत राशि ऋणदाता द्वारा वसूली जानी चाहिए और जिन मामलों में पुनर्रचना के अंतर्गत कुछ सुविधा आधार दर से कम में दी गई हो वहां मुआवजे की 100 प्रतिशत राशि वसूली जानी चाहिए।

13. प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी

13.1 पुनर्रचना संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार अर्थव्यवस्था और उद्योग से संबंधी बाह्य मामलों द्वारा इकाई के प्रभावित होने की स्थिति को छोड़कर आस्ति वर्गीकरण लाभ के लिए प्रवर्तकों द्वारा व्यक्तिगत गारंटी आवश्यक शर्तों (आईआरएसी मानदंड 2012 पर मास्टर परिपत्र का पैरा 14.2.2) में से एक है।

13.2 चूंकि व्यक्तिगत गारंटी द्वारा प्रवर्तकों के 'व्यक्तिगत हित को जोखिम' अथवा पुनर्रचना पैकेज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सुनिश्चित होगी, इसलिए कार्यदल ने यह अनुशंसा की है कि प्रवर्तकों से व्यक्तिगत गारंटी प्राप्त करना पुनर्रचना के सभी मामलों में अनिवार्य बना दिया जाए, भले ही पुनर्रचना की आवश्यकता अर्थव्यवस्था और उद्योग से संबंधित बाह्य कारकों के कारण पड़ गई हो। समिति ने इस बात की भी अनुशंसा की है कि कापॉरिट गारंटी प्रवर्तक की व्यक्तिगत गारंटी का विकल्प नहीं हो सकता है।

13.3 तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि पुनर्रचना के सभी मामलों में प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी ली जानी चाहिए और कापॉरिट गारंटी को व्यक्तिगत गारंटी के विकल्प के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तथापि, उन मामलों में कापॉरिट गारंटी को स्वीकार किया जा सकता है जिनमें किसी कंपनी के प्रवर्तक व्यक्ति न होकर कोई अन्य कापॉरिट निकाय हों अथवा जहां प्रवर्तक विशेष को स्पष्ट रूप से चिन्हित न किया जा सके।

व्यवहार्यता मापदंड के लिए विस्तृत बेंचमार्क

- i. लगाई गई पूंजी से प्रतिफल कम-से-कम पांच वर्ष की अवधि वाली सरकारी प्रतिभूति से प्राप्त होने वाले प्रतिफल से दो प्रतिशत अधिक के समतुल्य होनी चाहिए।
- ii. ऋण सेवा कवरेज अनुपात उस पांच वर्ष की अवधि के भीतर 1.25 से अधिक होना चाहिए जिसमें इकाई व्यवहार्य हो जाएगी और वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर अनुपात 1 से अधिक होना चाहिए। 10 वर्ष की चुकौती अवधि के लिए सामान्य ऋण सेवा कवरेज अनुपात लगभग 1.33 होना चाहिए।
- iii. प्रतिफल (रिटर्न) की आंतरिक दर और पूंजी की लागत के बीच बेंचमार्क अंतराल कम-से-कम 1 प्रतिशत होना चाहिए।
- iv. परिचालन और नकदी के ब्रेक इवेन पाइंट्स निकाले जाने चाहिए जो संबंधित औद्योगिक मानदंडों के साथ तुलनीय होने चाहिए।
- v. ऐतिहासिक डाटा पर आधारित कंपनी के रुझान और भविष्य के प्रक्षेपण उद्योग जगत के साथ तुलनीय होने चाहिए। इस प्रकार भूत और भविष्य ईबीआईडीटीए (ब्याज, कर, मूल्यहास और परिशोधन के पहले अर्जन) की घट-बढ़ का अध्ययन किया जाना चाहिए और उद्योग औसत से तुलना की जानी चाहिए।
- vi. ऋण अवधि (लोन-लाइफ) अनुपात नीचे परिभाषित किए अनुसार 1.4 होना चाहिए, जो मंजूर किए जाने वाले ऋण की राशि को 40% की सुरक्षा देगा।

ऋण अवधि (लोन-लाइफ) के दौरान कुल उपलब्ध नकद प्रवाह (एसीएफ) का वर्तमान मूल्य (ब्याज और मूल राशि सहित)

एलएलआर = -----
 ऋण की अधिकतम राशि

भाग क

अधिक्रमण किए गए परिपत्रों तथा अनुदेशों की सूची

सं.	परिपत्र सं.	तारीख	विषय
1.	डीबीएस. एफआइडी.सं. सी-18/ 01.02.00/ 2000-01	23.03.2001	प्रकाशित वित्तीय विवरणों में प्रकटन
2.	डीबीएस. एफआइडी.सं. सी-14/ 01.02.00/ 2001-02	08.02.2002	प्रकाशित वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त प्रकटन
3.	बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी -1/01.02.00/ 2004-05	26.04.2005	व्युत्पन्न साधनों (डेरिवेटिव्ज़) में जोखिम निवेश पर प्रकटन
4.	बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी -2/01.02.00/ 2006-07	01.07.2006	मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रकटीकरण मानदंड
5.	बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी -2/01.02.00/ 2007-08	02.07.2007	मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रकटीकरण मानदंड

भाग ख

प्रकटीकरण मानदंडों से संबंधित अनुदेश/दिशानिर्देश/निर्देशों के अन्य परिपत्रों की सूची

सं.	परिपत्र सं.	तारीख	विषय
1.	डीबीएस. एफआइडी. सं. 20/ 02.01.00/1997-98	04.12.1997	एकल/सामूहिक उधारकर्ताओं को मीयादी ऋणदात्री वित्तीय संस्थाओं के ऋण निवेश संबंधी सीमाएं
2.	एमपीडी. बीसी. 187/ 07.01.279/ 1999-2000	07.07.1999	वायदा दर करार/ब्याज दर अदला-बदली (स्वैप)
3.	डीबीएस. एफआइडी.सं. सी-9/ 01.02.00/ 2000-01	09.11.2000	दिशानिर्देश - निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यन
4.	डीबीएस. एफआइडी.सं. सी- 19/ 01.02.00/ 2000-01	28.03.2001	पुनर्चित खातों के संबंध में व्यवहार
5.	डीबीएस. एफआइडी.सं. सी- 26/ 01.02.00/ 2000-01	20.06.2001	मौद्रिक और ऋण नीति उपाय - 2001-02 - ऋण एक्सपोज़र मानदंड
6.	डीबीएस. एफआइडी.सं. सी-2/ 01.11.00/ 2001-02	25.08.2001	कंपनी ऋण पुनर्चना (सीडीआर)
7.	डीबीएस. एफआइडी.सं. सी-6/ 01.02.00/ 2001-02	16.10.2001	निवेश के वर्गीकरण और मूल्यन के लिए दिशानिर्देश- आशोधन/ स्पष्टीकरण
8.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 96/ 21.04.048/ 2002-03	23.04.2003	प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी को वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर दिशानिर्देश
9.	आइडीएमसी. एमएसआरडी. 4801/ 06.01.03/ 2002-03	03.06.2003	विनिमय व्यापार वाले ब्याज दर व्युत्पन्न साधनों पर दिशानिर्देश
10.	डीबीएस. एफआइडी.सं. सी-5/ 01.02.00/ 2003-04	01.08.2003	समेकित लेखा-प्रणाली तथा समेकित पर्यवेक्षण हेतु दिशानिर्देश

11.	डीबीएस. एफआइडी.सं. सी-11/ 01.02.00/ 2003-04	08.01.2004	वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण प्रतिभूतियों में निवेश पर अंतिम दिशानिर्देश
12.	बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी.8/01.02.00/2009-10	26.3.2010	लेखे पर टिप्पणियों में अतिरिक्त प्रकटीकरण
13.	बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी.9/01.02.00/2009-10	26.3.2010	अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड - एनपीए स्तरों की गणना
14	बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी.. 5/ 01.02.00/ 2010-11	18 अगस्त 2010	परिपक्वता तक धारित संवर्ग के अंतर्गत धारित निवेश की बिक्री
15	बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 8/ 01.02.00/ 2010-11	2 नवंबर 2010	बैंकों के तुलन-पत्रेतर एक्सपोजरों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड -काउंटरपार्टी ऋण एक्सपोजरों की द्विपक्षीय नेटिंग
16	बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी.सं .5/01.02.00/2012-13	17 जून , 2013	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिमों की संरचना के संबंध में विवेकपूर्ण दिशानिर्देश